e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: **0032951674** Payment Date: **29/08/2019 15:05:13**

Office Name: **Sub Registrar X Registration & Stamps Jaipur**
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 01/04/2019-To-31/03/2020

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रप्तियां	50.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**50.00**

Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:	
Full Name: **SATISH MODI ADV.**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): Jaipur(000000)
Address:P.NO.1-A,OKAY PLUS KRISHAN KUNJ SIRSI ROAD, JAIPUR	Remarks:SEARCH REPORT OF YEAR 2019

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**000632609291329082019**
Date:	29/08/2019 15:05:13	Refrence No:	**IK0AEZKWW3**

Computer generated copy on : ***29/08/2019*** ***Courtsy :*** ***https://Egras.raj.nic.in***

For Unnati Grih Nirman Company

Partner

SATISH MODI
ADVOCATE
RAJASTHAN HIGH COURT

Mob.: 9314833316
Resi.: "Shri Ram Vila", Flat No. 202,
Plot No. 121, Rameshwar Dham,
Near Kedia Palace, Murlipura, Jaipur-13
E-mail: satishmodi11@yahoo.com

–: टाईटल सर्च (Search Report) :–

मुझे **मैंसर्स उन्नति इन्फ्राटेक** के साझेदारों द्वारा जो कि एक रजिस्टर्ड भागेदारी फर्म है, जिसके भागीदार **श्री नरेन्द्र कुमार मोदी** पुत्र श्री कैलाश चन्द मोदी, **श्री नारायण लाल अग्रवाल** पुत्र श्री स्व. पन्नालाल अग्रवाल व **श्री शशी मोदी** पुत्र श्री कैलाश चन्द मोदी, क्रमशः 42:43:15 प्रतिशत के अनुपात में भागीदार है, फर्म का GSTIN NO-08AAFFU8079C1ZW, फर्म के स्वामित्व की आवासीय भूमि जो कि योजना ओ.के. प्लस, कृष्ण कुन्ज प्लॉट नम्बर–ए–1, ग्राम सिरसी, तहसील सिरसी, जिला जयपुर के खसरा नम्बर–650/2268, 650/2269, 650/2271, 650/2272, 670/2275, 670/2, 671, 672/1, 672/2, 672/4, 672/5, 672/2274, 672/2284 कुल किता–13 में से क्षेत्रफल–10,651.84 वर्गमीटर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोविजन 3–ए, के तहत एकल पट्टा जो जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा उक्त फर्म मैंसर्स उन्नति इन्फ्राटेक के पक्ष में जारी किया गया था, कि फोटो प्रति मुझे उपलब्ध कराई गयी है, तथा उक्त भूमि के स्वामित्व की निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु निवेदन किया गया ।

यह कि मेरे द्वारा उप पंजीयक कार्यालय–10 जयपुर के रिकार्ड का दिनांक– 29.08.2019 को निरीक्षण जिसका निरीक्षण शुल्क जरिये रसीद संख्या–0030–03–800–01–00 अन्य प्राप्तियॉ जमा करवाया तथा निरीक्षण किया गया तथा बाद रिकॉर्ड निरीक्षण उक्त भूमि के स्वामित्व की रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैंर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के 22 के अन्तर्गत उक्त भूमि का पट्टा भागीदारी फर्म मैंसर्स उन्नति इन्फ्राटेक के नाम दिनांक–02.07.2019 को जारी किया गया।

2. यह कि उक्त पट्टा–विलेख जो ओ.के. प्लस, कृष्ण कुन्ज प्लॉट नम्बर–ए–1, ग्राम सिरसी, तहसील सिरसी, जिला जयपुर के खसरा नम्बर–650/2268, 650/2269, 650/2271, 650/2272, 670/2275, 670/2, 671, 672/1, 672/2, 672/4, 672/5, 672/2274, 672/2284 कुल किता–13 में से क्षेत्रफल–10,651.84 वर्गमीटर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोविजन 3–ए, के तहत एकल पट्टा जो जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा उक्त फर्म मैंसर्स उन्नति इन्फ्राटेक के पक्ष में जारी किया गया है।

For Unnati Grih Nirman Company
Partner

SATISH MODI
ADVOCATE
RAJASTHAN HIGH COURT

Mob.: 9314833316
Resi.: "Shri Ram Vila", Flat No. 202,
Plot No. 121, Rameshwar Dham,
Near Kedia Palace, Murlipura, Jaipur-13
E-mail: satishmodi11@yahoo.com

3. यह कि उक्त भागीदारी फर्म द्वारा उक्त पट्टा–विलेख को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय–10 जयपुर में नियत स्टाम्प डयूटी व रजिस्ट्रेशन राशि आदि जमा कर दिनांक 04.07.2019 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जो कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय–10 जयपुर के कार्यालय रिकार्ड पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या–103, में पृष्ठ संख्या 183 क्रम संख्या–201903190104741 पर पंजीबद्ध किया गया तथा जिसका इन्द्राज अति. पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 412 के पृष्ठ संख्या 505 से 517 पर चस्पा किया गया है अर्थात उक्त पट्टा–विलेख समुचित स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन व अन्य चार्ज अदा कर पंजीबद्ध करवाया गया है तथा उक्त सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उक्त भूमि पर आज दिनांक तक कोई ऋण–भार, कर्जा–कुर्की, बंधक, बैंक आदि का कोई मार्क (एण्डोर्समेंट) नहीं हैं।

4. यह कि उक्त सम्पत्ति वर्णित प्लॉट संख्या–ए–1 (जिसका पूर्ण विवरण मद संख्या–2 में किया गया है) का स्वामित्व मेरी विधिक राय व सब रजिस्ट्रार कार्यालय (दशम), जयपुर के कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार मैसर्स उन्नति इन्फ्राटेक जो कि एक रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म है, में निहित है अर्थात उक्त भागीदारी फर्म मैसर्स उन्नति इन्फ्राटेक उक्त प्लॉट की एकमात्र मालिक, काबिज एवं स्वामिनी है।

अतः टाईटल सर्च रिपोर्ट प्लॉट संख्या–ए–1, ओ.के. प्लस, कृष्ण कुन्ज प्लॉट नम्बर–ए–1, ग्राम सिरसी, जिला जयपुर की प्रस्तुत है।

जयपुर
दिनांक 29.08.2019

भवदीय

(signature)

(सतीश मोदी)
एडवोकेट

<u>संलग्न :–</u>

1. असल रसीद निरीक्षण संख्या–0030–03–800–01–00
2. पार्टनरशिप डीड फोटो प्रति मैसर्स उन्नति इन्फ्राटेक
3. पार्टनरशिप डीड फोटो प्रति मैसर्स उन्नति इन्फ्राटेक का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन
4. प्लॉट संख्या–ए–1, ओ.के. प्लस, कृष्ण कुन्ज प्लॉट नम्बर–ए–1, ग्राम सिरसी, जिला जयपुर के पट्टे की फोटो प्रति।

For Unnati Grih Nirman Company
(signature)
Partner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-X

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 04-07-2019 4:32 PM

Fee Receipt No	:	201902190005818	Receipt Date	:	04/07/2019
Name	:	NARENDRA KUMAR MODI AS PARTNER M/S UNNATI INFRATECH,	Document S. No.	:	201901190005249
Address	:	101 ,UNNATI TOWER, 11 CENTRAL SPINE, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 11465640	Evaluated Value		₹ 0
Ord-Registration Fee	:	₹ 114657	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 114656	Stamp Duty	:	₹ 573282
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 802895
			Total Amount	:	₹ 802895

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 31596885 ₹ 802895

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक, जयपुर (दशम) पंजीयन विभाग राज.
SUB-REGISTRAR, JAIPUR-X

For UNNATI INFRATECH
PARTNER

Scanned by CamScanner

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: **0031596885** | Payment Date: **04/07/2019 14:18:45**

Office Name: **Sub Registrar X Registration & Stamps Jaipur**
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 01/04/2019-To-31/03/2020

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	57328.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	57328.00
3	0030-03-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	300.00
4	0030-03-104-01-00-पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति	114657.00
5	0030-02-103-01-00-दस्तावेजो के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	573282.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	802895.00

Eight Lakh Two Thousand Eight Hundred Ninety Five Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:	
Full Name: **M/S UNNATI INFRATECH**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): Jaipur(000000)
Address:P.NO.1-A OKAY PLUS KRISHNA KUNJ VILL. SIRSI JAIPUR	Remarks:JDA PATTA DUTY

Payment Details:		Challan No. -	0
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	000632600257004072019
Date:	04/07/2019 14:18:45	Refrence No:	IK0ACTMDE7

Computer generated copy on : *04/07/2019* *Courtsy :* *https://Egras.raj.nic.in*

उप-पंजीयक, जयपुर (दशम) (राज.) पंजीयन विभाग SUB-REGISTRAR, JAIPUR-X

उप पंजीयक
जयपुर दसम्

For UNNATI INFRATECH

PARTNER

Scanned by CamScanner

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक : एफ ( ) जविप्रा/जोन 07 / 2019 / डी 2303 दिनांक : 02-07-19

उप पंजीयक
मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग,
जयपुर

उपायुक्त (जोन-7) ज.वि.प्रा. जयपुर

विषय : – लीज़डीड पंजीकृत करने बाबत

महोदय,

इस पत्र के साथ ओकेलस कृष्णा कुंज योजना के भूखण्ड संख्या 1-A, का लीज़डीड श्री/कुमारी/श्रीमती मैं. उन्नति इन्फ्राटेक जरिये पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री साझेदार नरेन्द्र कुमार मोदी पु. श्री कैलाश चन्द मोदी के पक्ष में निष्पादित कर भिजवाया जा रहा है। कृपया नियमानुसार पंजीकृत करने की कार्यवाही करावें।

संलग्नः – लीज़डीड

भवदीय

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
जयपुर

प्रतिलिपि :– श्री/श्रीमती/सुश्री .... पता ....
.... को प्रेषित कर लेख है कि
कृपया उक्त लीजडीड का नियमानुसार पंजीयक जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर पंजीयन कराने की कार्यवाही करें।

उपायुक्त जोन.........
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

For UNNATI INFRATECH
PARTNER

Scanned by CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2019 के दिन 02 वे के 07 माह को विक्रय पत्र संख्या 2303 प्रथम पक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं मैसर्स उन्नति इन्फाटेक जरिये साझेदार नरेन्द्र कुमार मोदी पुत्र श्री कैलाश चन्द्र मोदी जाति महाजन निवासी 101, उन्नति टावर 11, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रिमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना **ओके प्लस कृष्ण कुंज ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 650/2268, 650/2269, 650/2271, 650/2272, 670/2275, 670/2, 671, 672/1, 672/2, 672/4, 672/5, 672/2274, 672/2284 कुल किता 13 में से क्षेत्रफल 10651.84 वर्गमीटर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोविजन 3ए के तहत एकल पट्टा** स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलंग्न नक्शें में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थातः–

1. लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर राशि **21,81,020/– अंके इक्कीस लाख इकयासी हजार बीस रूपये** होती है, जो चालान नम्बर 426827 दिनांक 25.08.2015 से एकमुश्त जमा है। परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। **भूखण्ड के पेटे एकमुश्त लीज राशि जमा है।**
2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोविजन 3ए के तहत एकल पट्टा** प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वंय द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नही होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगें।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येग अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नही की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

उप पंजीयक
जयपुर दसम

उपायुक्त (जोन–)
जयपुर विकास प्राधिकरण

For UNNATI INFRATECH

PARTNER

Scanned by CamScanner

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिकमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेंगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

नोट :—इस भूखण्ड की पंजीकृत मुल्य राशि रूपये 1,14,65,690/—/— होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 1686, 1687 स्टाम्प रूपये 500+50 संख्या 1+1 बहेसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

कस्बे का नाम राजस्व योजना ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 650/2268, 650/2269, 650/2271, 650/2272, 670/2275, 670/2, 671, 672/1, 672/2, 672/4, 672/5, 672/2274, 672/2284 योजना ओके प्लस कृष्णा कुंज में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोविजन 3ए के तहत एकल पट्टा विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 10651.84 वर्गमीटर	पूर्व..........पश्चिम.......... भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो ..... सीमा उत्तर..........दक्षिण.......... सलंग्न मानचित्र अनुसार है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

सरकार की ओर से:—

आज सन् 2019 के माह 07 के 02 वें दिन श्री अबू सूफियान चौहान आर.ए.एस. सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन—12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (जोन-7)
उपायुक्त विकास प्राधिकरण
जयपुर
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
मयमोहर

साक्षी:—

(1) नाम रामफूल मीणा
पुत्र कनिष्ठ सहायक, जोन-7
व्यवसाय जविप्रा, जयपुर
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम के. के. गुप्ता
पुत्र श्री नारायण दास गुप्ता
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 02-07 सन् 2019 को माह 07 के 02 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त मैसर्स उन्नति इन्फ्राटेक जरिये साझेदार नरेन्द्र कुमार मोदी लीजधारक द्वारा कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

For UNNATI INFRATECH
Partner
पट्टेधारी के हस्ताक्षर

साक्षी:—

(1) नाम राजेन्द्र सिंह
पुत्र स्व. श्री एल. एन. सिंह
व्यवसाय प्राईवेट नौकरी
निवास स्थान 46 रिद्धी विहार, निवारू लिंक रोड, झोटवाड़ा, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम राजेश्वर
पुत्र श्री बद्रीराम
व्यवसाय प्राईवेट नौकरी
निवास स्थान 47 हनुमान नगर मुरलीपुरा जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

For UNNATI INFRATECH
PARTNER

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

K 675828

राजस्थान RAJASTHAN

कोषाधिकारी जयपुर (शहर) ... नॉन ज्यूडिशियल 28 MAR 2019 3

SUB-REGISTRAR JAIPUR-X

उपायुक्त (जोन-) ज. वि. प्रा. जयपुर

निजी खातेदारी गृह निर्माण सहकारी समिति
के ऑर्केप्लस कृष्णा कुंज योजना के भूखण्ड
संख्या 1-A क्षेत्रफल 10,651.84 वर्ग मीटर
वर्ग गर्ज के लिए लीज डीड है।
स्टाम्प रु 500+50 +10 संलग्न है

उपायुक्त (जोन-,
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उप पंजीयक
जयपुर दसम

For UNNATI INFRATECH

PARTNER

Scanned by CamScanner

21 JUN 2019

क्र. सं. 1686 दिनांक

नाम उन्नति इन्फ्राटेक

पिता/पति का नाम

निवासी विद्याधर नगर, जयपुर

मुद्रांक का मूल्य 500/- वास्ते पट्टा

ह. स्टाम्प विक्रेता

दुर्गा सिंह अधिकारी

ला. स्टाम्प विक्रेता

आर.टी.ओ. परिसर, जयपुर

ला. नं. 6/10-11

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि का ... विभाजन

1. आधारभूत ...	50/-
2. ... (... 3-क)- ...	50/-
कुल योग	100/-
हस्ताक्षर स्टाम्प वैण्डर	

उप-पंजीयक, जयपुर (दक्षिण) (राज.) JAIPUR SUB-...

For UNNATI INFRATECH

PARTNER

ने लेख्यपत्र Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer Development Authority, UIT, local bodies, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31-12-2016 and application for lease deed or the record of housing society submitted on or before 28-02-2019 in the urban local body concerned subject to condition-

1. Urban local body concerned shall make endorsement on the Lease deed or issue a certificate of this effect that lease deed has been issued on the basis of application or record submitted on or before 28-02-2019

2. Lease holder along with his lease deed shall submit the certificate, before the registering officer, issued by the urban local body, concerned wherein the number and date of execution of intermediatery unregistered and unstamped instruments executed in respect of immovable property are stated; and

3. lease deed shall be presented for registration on or before 31-07-2019. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 11465640/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रु 11465640/- पूर्व में ———— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAJKAPOOR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BADLU RAM जाति HINDU Age: 50 Add: House No.:47, Colony: BANDHU NAGAR, Area: MURLIPURA, City: JAIPUR, Pin code: 303328, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN	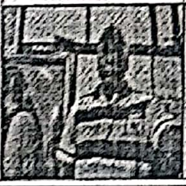		Signature

उप पंजीयक, JAIPUR-X

201901190005249

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31-12-2016 and application for lease deed or the record of housing society submitted on or before 28-02-2019 in the urban local body concerned subject to condition-
1. Urban local body concerned shall make endorsement on the Lease deed or issue a certificate of this effect that lease deed has been issued on the basis of application or record submitted on or before 28-02-2019
2. Lease holder along with his lease deed shall submit the certificate, before the registering officer, issued by the urban local body, concerned wherein the number and date of execution of intermediatery unregistered and unstamped instruments executed in respect of immovable property are stated; and
3. lease deed shall be presented for registration on or before 31-07-2019. (in favour of male)

For UNNATI INFRATECH

PARTNER

उप पंजीयक
जयपुर दसम

Scanned by CamScanner

Fees Receipt Endorsement

रसीद सं	201902190005818
दिनांक	04-07-2019
पंजीयन शुल्क ₹	114657
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	573282
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	114656
कुल योग	802895

201901190005249 उप पंजीयक, JAIPUR-X

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer Development Authority, UIT, local bodies, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31-12-2016 and application for lease deed or the record of housing society submitted on or before 28-02-2019 in the urban local body concerned subject to condition-
1. Urban local body concerned shall make endorsement on the Lease deed or issue a certificate of this effect that lease deed has been issued on the basis of application or record submitted on or before 28-02-2019
2. Lease holder along with his lease deed shall submit the certificate, before the registering officer, issued by the urban local body, concerned wherein the number and date of execution of intermediatery unregistered and unstamped instruments executed in respect of immovable property are stated; and
3. lease deed shall be presented for registration on or before 31-07-2019. (in favour of male)

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NARENDRA KUMAR MODI AS PARTNER M/S UNNATI INFRATECH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री KAILASH CHANDRA MODI, व्यवसाय Businessजाति MAHAJAN House No.:101, Colony: UNNATI TOWER, 11 CENTRAL SPINE, Area: VIDHYADAHR NAGAR, City: JAIPUR, Pin code: 302039, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 62 Signature :

For UNNATI INFRATECH

PARTNER

उप पंजीयक
जयपुर दसम

Scanned by CamScanner

Registration Endorsement

आज दिनांक 04/07/2019 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 103 में
पृष्ठ संख्या 183 क्रम संख्या 201903190104741 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 412 के
पृष्ठ संख्या 505 से 517 पर चस्पा किया गया ।

उप पंजीयक, JAIPUR-X

201901190005249

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer Development Authority, UIT, local bodies, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31-12-2016 and application for lease deed or the record of housing society submitted on or before 28-02-2019 in the urban local body concerned subject to condition-

1. Urban local body concerned shall make endorsement on the Lease deed or issue a certificate of this effect that lease deed has been issued on the basis of application or record submitted on or before 28-02-2019
2. Lease holder along with his lease deed shall submit the certificate, before the registering officer, issued by the urban local body, concerned wherein the number and date of execution of intermediatery unregistered and unstamped instruments executed in respect of immovable property are stated; and
3. lease deed shall be presented for registration on or before 31-07-2019. (in favour of male)

For UNNATI INFRATECH

PARTNER

Scanned by CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 04 माह 07 सन् 2019 को 04:20 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री NARENDRA KUMAR MODI AS PARTNER M/S UNNATI INFRATECH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री KAILASH CHANDRA MODI
उम्र 62 वर्ष, जाति MAHAJAN , व्यवसाय Business
निवासी House No.:101, Colony: UNNATI TOWER, 11 CENTRAL SPINE, Area: VIDHYADAHR NAGAR, City: JAIPUR, Pin code: 302039, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक
JAIPUR

201901190005249

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31-12-2016 and application for lease deed or the record of housing society submitted on or before 28-02-2019 in the urban local body concerned subject to condition-

1. Urban local body concerned shall make endorsement on the Lease deed or issue a certificate of this effect that lease deed has been issued on the basis of application or record submitted on or before 28-02-2019
2. Lease holder along with his lease deed shall submit the certificate, before the registering officer, issued by the urban local body, concerned wherein the number and date of execution of intermediatery unregistered and unstamped instruments executed in respect of immovable property are stated; and
3. lease deed shall be presented for registration on or before 31-07-2019. (in favour of male)

For UNNATI INFRATECH

PARTNER

Scanned by CamScanner

10 भारत 10 रु. INDIA 10 रुपये SHARE TRANSFER RUPEES TEN

10 भारत 10 रु. INDIA 10 रुपये SHARE TRANSFER RUPEES TEN

10 भारत 10 रु. INDIA 10 रुपये SHARE TRANSFER RUPEES TEN

10 भारत 10 रु. INDIA 10 रुपये SHARE TRANSFER RUPEES TEN

10 भारत 10 रु. INDIA 10 रुपये SHARE TRANSFER RUPEES TEN

उप-पंजीयक, जयपुर (दशम) (राज.)

3 नॉन ज्यूडिशियल

3 नॉन ज्यूडिशियल

उपायुक्त (जोन-7) ज. वि. प्रा. जयपुर

For UNNATI INFRATECH

PARTNER

निजी खातेदारी गृह निर्माण सहकारी समिति
की ओके प्लस कृष्ण कुंज योजना के भूखण्ड
संख्या 1-A क्षेत्रफल 10,651.84 वर्ग मीटर
का पट्टे के लिए लीज डीड है।
मुद्रांक रु. 500+50 +1/ संलग्न है।

उपायुक्त (जोन-
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उप पंजीयक

Scanned by CamScanner

21 JUN 2019

क्र. सं. 1687
नाम उन्नति इन्फ्राटेक
पिता/पति का नाम
निवासी विद्याधर नगर जयपुर
मुद्रांक का मूल्य 50/- वास्ते पट्टा

ह. मुद्रांक विक्रेता

दुर्गा सिंह अधिकारी
ला. स्टाम्प विक्रेता
आर.टी ओ. परिसर, जयपुर
ला. नं. 6/10-11

...स्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के ...र्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार	
1. [illegible]	5/-
2. [illegible]	5/-
कुल योग	10/-
हस्ताक्षर स्टाम्प वेन्डर	

For UNNATI INFRATECH
PARTNER

उप-पंजीयक, जयपुर (दशम) (राज.)
SUB-REGISTRAR, JAIPUR-X
पंजीयन विभाग

Scanned by CamScanner

SITE PLAN OF CMJAY- 2015 (PROVISION 3A) PLOT NO. 1-A

"OKAY PLUS KRISHANA KUNJ" (NIJI KHATEDARI)

SCHEME

AT VILLAGE:- SIRSI TEHSIL & DISTT, JAIPUR.

AREA SURRENDER IN SECTOR ROAD :- 565.10 SQ. MTR.

NET PLOT AREA :- 10651.84 SQ. MTR.

PARAMETERS :- AS PER PREVAILING BUILDING BYLAWS FOR CMJAY- 2015 AND 5% FACILITY AREA RESERVED AT THE TIME OF MAP APPROVAL OF BUILDING PLAN IN CMJAY- 2015 (PROVISION 3A).

SCALE - 1CM=15M

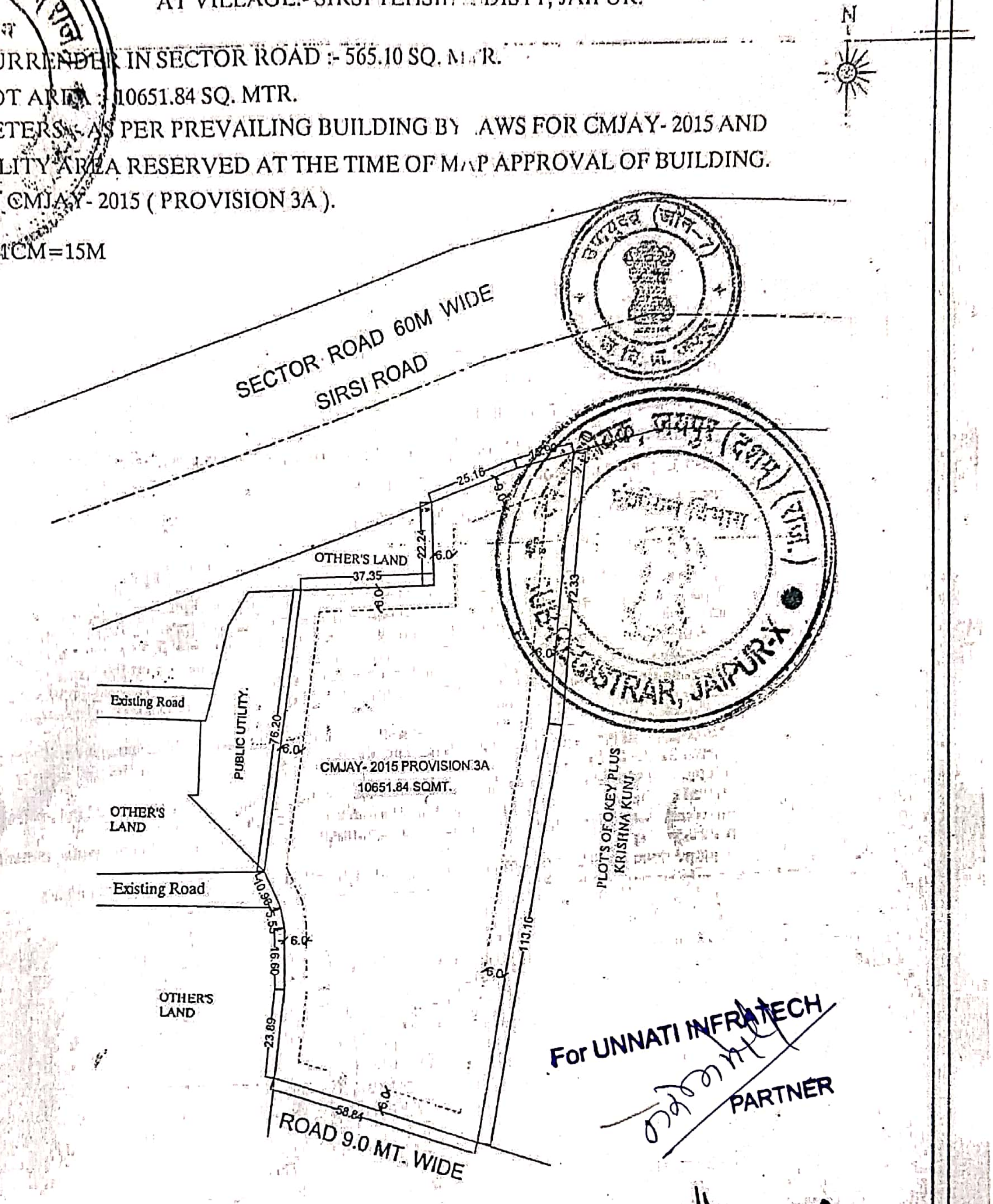

For UNNATI INFRATECH

PARTNER

उपायुक्त जोन-7

जविप्रा जयपुर

SITE ENGINEER
ZONE - 7

A.T.P.
ZONE

DY. COMMISSIONER
ZONE - 7

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR.

Scanned by CamScanner

Registration Endorsement

आज दिनांक 04/07/2019 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 103 में

पृष्ठ संख्या 183 क्रम संख्या 201903190104741 पर पंजीबद्व किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 412 के

पृष्ठ संख्या 505 से 517 पर चस्पा किया गया ।

201901190005249

उप पंजीयक, JAIPUR-X

उप पंजीयक जयपुर दसम

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur Development Authority, UIT, local bodies, and other local bodies under the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31-12-2016 and application for lease deed or the record of housing society submitted on or before 28-02-2019 in the urban local body concerned subject to condition-

1. Urban local body concerned shall make endorsement on the Lease deed or issue a certificate of this effect that lease deed has been issued on the basis of application or record submitted on or before 28-02-2019

2. Lease holder along with his lease deed shall submit the certificate, before the registering officer, issued by the urban local body, concerned wherein the number and date of execution of intermediatery unregistered and unstamped instruments executed in respect of immovable property are stated; and

3. lease deed shall be presented for registration on or before 31-07-2019. (in favour of male)

उप पंजीयक, जयपुर (दसम) (राज.) • JAIPUR-X • SUB...

For UNNATI INFRATECH

PARTNER

Scanned by CamScanner